[2024] 7 एस.सी.आर. 29 : 2024 आईएनएससी 467

हर नारायण तिवारी (डी) टी.एच.आर. एलआरएस.

बनाम

कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ कैंटोनमेंट और अन्य

(सिविल अपील संख्या – 8829/2010)

08 जुलाई 2024

[अभय एस. ओका और पंकज मिथल,* जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

क्या वादी-अपीलकर्ता द्वारा दायर वर्तमान वाद (वाद की भूमि पर स्वामित्व और कब्जे का दावा) को रिस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत पर धारा 11 सी.पी.सी के तहत वर्जित किया गया था, क्योंकि वाद की भूमि के संबंध में पिछले वाद में सह-प्रतिवादियों (अपीलकर्ता सहित) के अधिकारों का कोई न्यायनिर्णयन नहीं हुआ था और उसमें मुद्दा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और मूल रूप से वर्तमान वाद के समान नहीं था।

हेडनोट्स †

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 11 - रेस ज्यूडिकाटा - सह-प्रतिवादियों के अधिकार - वादी अपीलकर्ता के टाइटल सूट संख्या - 9/89 को प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया था - अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस आधार पर डिक्री को उलट दिया कि वाद रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत से प्रभावित था, एम द्वारा पहले दायर किए गए वाद संख्या - 8/64 के मद्देनजर जिसमें वादी-अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 था - दूसरी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बताया गया था - औचित्य:

निर्णय: पिछले मुकदमे यानी मुकदमा संख्या - 8/64 में मामला कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के नाम पर गांव रामगढ़ की पूरी 5.38 एकड़ जमीन पर एम के स्वामित्व और हक के बारे में था; उक्त मुकदमे में वादी-अपीलकर्ता और अन्य प्रतिवादी; जबकि वर्तमान मुकदमे में विवाद केवल 0.30 एकड़ भूमि के संबंध में है, जो वादी-अपीलकर्ता और कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के बीच है - एम द्वारा दायर मुकदमे में गांव रामगढ़ की 5.38 एकड़ भूमि पर अधिकार, शीर्षक और हित का दावा किया गया था, जिसे कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के संबंध में वादी-अपीलकर्ता के मुकदमे की भूमि पर किसी भी अधिकार के न्यायनिर्णयन के बिना सरलता से खारिज कर दिया गया था - यह एक स्थापित कानून है कि रिस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत न केवल वादी और प्रतिवादियों के बीच लागू होता है, बल्कि सह-प्रतिवादियों के बीच भी लागू होता है - सह-प्रतिवादियों के बीच रिस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत को लागू करने में, मुख्य रूप से तीन शर्तों को पूरा करना

आवश्यक है, अर्थात्, (i) सह-प्रतिवादियों के बीच हितों का टकराव होना चाहिए; (ii) वादी को राहत देने के लिए उक्त टकराव का फैसला करना आवश्यक है; और (iii) उक्त संघर्ष का निर्णय करने वाला अंतिम निर्णय है - वर्तमान मामले में, सह-प्रतिवादियों के बीच हितों का कोई टकराव नहीं था, क्योंकि वादी-अपीलकर्ता स्वतंत्र रूप से 0.30 एकड़ भूमि पर अधिकार का दावा कर रहे थे, जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ 2.55 एकड़ भूमि पर अधिकार का दावा कर रहा था, जो आर की संपत्ति का हिस्सा थी, बिना यह दावा किए कि उसके पक्ष में तय की गई भूमि वही है जिसका दावा वादी-अपीलकर्ता ने किया था या उसके पक्ष में तय की गई भूमि पर कोई अतिक्रमण था - एम 5.38 एकड़ भूमि की पूरी संपत्ति का दावा कर रही थी और उसका दावा हार गया क्योंकि वह सह-प्रतिवादियों द्वारा स्थापित दावों के संबंध में अदालत द्वारा कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाले जाने के साथ ही अपने पक्ष में उक्त भूमि के अनुदान को साबित करने में असमर्थ थी, वर्तमान मुकदमे में उठाए गए सह-प्रतिवादियों के आपसी विवाद का कभी भी निर्णय नहीं हुआ - तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, रिस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है - जहां तक वादी-अपीलकर्ता के दावे का सवाल है, वादी-अपीलकर्ता ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह साबित कर दिया है कि वादी द्वारा उसके पक्ष में मुकदमे की भूमि का बंदोबस्त किया गया है - यह अमीन रिपोर्ट (एक्सएच.8) दिनांक 15.04.1942 20 और हुकुमनामा (एक्सएच.9) दिनांक 07.04.1943 के साथ-साथ किराया रसीद (एक्सएच.6, 6/ए और 7) से साबित होता है - हजारीबाग के अतिरिक्त कलेक्टर का दिनांक 07.01.1963 का आदेश (एक्सएच.16) जिसमें वादी-अपीलकर्ता से किराया वसूलने का निर्देश दिया गया है, भी उपरोक्त बंदोबस्त और उसके बाद राज्य द्वारा किराया बढ़ाने की मंजूरी की पुष्टि करता है - इन सभी दस्तावेजों का दूसरे पक्ष द्वारा सामना नहीं किया गया है - तथ्य यह है कि वादी-अपीलकर्ता का नाम राजस्व कर में भी बदल दिया गया था अभिलेखों से यह संदेह से परे साबित होता है कि किसी भी विपरीत साक्ष्य के अभाव में वह मुकदमे की भूमि पर काबिज है। [पैरा 20, 21, 23, 25, 33]

उद्धृत केस कानून

गोविंदम्मल (मृत) कानूनी प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम वैद्यनाथन एवं अन्य [2018] 11 एससीआर 1092 : (2019) 17 एससीसी 433 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

हर नारायण तिवारी (डी) टी.एच.आर. एलआरएस. बनाम कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ कैंटोनमेंट और अन्य

कीवर्ड की सूची

रिस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11; सह-प्रतिवादियों के अधिकार; अधिकार, शीर्षक, हित का दावा; सह-प्रतिवादियों के बीच हितों का टकराव।

मामला उत्पन्न

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8829/2010

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के द्वितीय अपील संख्या - 266/2006 में दिनांक 01.04.2009 के निर्णय एवं आदेश से।

पार्टियों में उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए - मनोज गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती स्मृति प्रसाद, विनायक गोयल, श्रीमती एस. गुप्ता, शुवोदीप रॉय, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों के लिए - मनोज स्वरूप, वरिष्ठ वकील, सुश्री मधुरिमा तात्या, अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आर्डर/आदेश

पंकज मिथल, जे

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज गोयल और प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज स्वरूप को सुना गया।
2. वादी-अपीलकर्ता (हर नारायण तिवारी) के टाइटल सूट संख्या 9/89 पर प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा 16.03.2000 को निर्णय दिया गया था। कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ द्वारा की गई अपील में उक्त निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2006 के निर्णय एवं आदेश के तहत उलट दिया गया था; मूलतः इस आधार पर कि यह मुकदमा महारानी ललिता राज्य लक्ष्मी [1] (राजा बहादुर कामाक्ष्य नारायण सिंह [2] की पत्नी) द्वारा स्थापित पहले टाइटल सूट संख्या 8/64 के निर्णय के मद्देनजर रिस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें वादी-अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 32 था और कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ मुख्य प्रतिवादी था। वादी-अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई दूसरी अपील 01.04.2009 को केवल यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि यह कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठाती है।

[1] इसके बाद इन्हें “महारानी” कहा जाएगा
[2] इसके बाद इन्हें “राजा” कहा जाएगा

3. अपील को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के दिनांक 01.04.2009 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर; वादी-अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है और प्रथम अपीलीय न्यायालय के दिनांक 28.06.2006 के निर्णय और आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके मुकदमे पर रिस जूडीकेटा द्वारा रोक नहीं लगाई गई है और उन्होंने विवादित भूमि पर वैध रूप से स्वामित्व और कब्जा प्राप्त कर लिया है।

4. वादी-अपीलकर्ता ने उपरोक्त संदर्भित टाइटल सूट संख्या 9/89 दायर किया था, जिसमें वाद की अनुसूची 'ए' में उल्लिखित संपत्तियों पर उसके स्वामित्व की घोषणा की गई थी, जिस पर संरचनाएं और इमारतें खड़ी थीं और उस पर उसके कब्जे की पुष्टि की गई थी। वैकल्पिक रूप से, एक प्रार्थना की गई थी कि यदि वादी-अपीलकर्ता को उक्त संपत्ति पर कब्जा नहीं मिला, तो कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ या इसके माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाए और उसे कब्जा दिलाया जाए, साथ ही यह भी निर्देश दिया जाए कि उन्हें भविष्य में वादी-अपीलकर्ता को उक्त संपत्ति से बेदखल करने से स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा रोका जाए।

5. शिकायत की अनुसूची 'ए' के अनुसार, विवाद दो ज़मीनों के बारे में है: पहला, प्लॉट नंबर 432 के 2.04 एकड़ में से 0.12 एकड़ ज़मीन; और दूसरा प्लॉट नंबर 438 के 0.66 एकड़ में से 0.18 एकड़ ज़मीन, दोनों ही रामगढ़ गांव में, कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के भीतर स्थित हैं, जिनकी सीमाएँ अनुसूची में वर्णित हैं। संक्षेप में, मुकदमे में विवाद केवल प्लॉट नंबर 432 के 0.12 एकड़ और प्लॉट नंबर 438 के 0.18 एकड़ के बारे में है, यानी उपरोक्त दो प्लॉट और उन पर मौजूद संरचनाओं के कुल 0.30 एकड़।

6. वादी-अपीलकर्ता ने मुकदमे की भूमि पर स्वामित्व और कब्जे का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि गांव के मालिक राजा ने वर्ष 1942 में प्लॉट संख्या 432 और 438 वाली 0.30 एकड़ भूमि को अपने पक्ष में बसाया था।

7. वादी-अपीलकर्ता का मामला यह था कि रामगढ़ गांव राजा की संपत्ति का हिस्सा था। यह कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधन के अधीन था और वर्ष 1937 में राजा के पक्ष में जारी किया गया था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा इसके प्रबंधन की अवधि के दौरान, इसके प्रबंधक ने केस नंबर 1/1926-27 की कार्यवाही में प्लॉट नंबर 432 और 438 सहित विभिन्न भूखंडों में शामिल 5.38 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया और उस पर कब्जा कर लिया।

8. वर्ष 1942 में राजा ने वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में मुकदमे की भूमि का स्थायी रैयती बंदोबस्त किया और 2,000 रुपये किराया और सलामी के भुगतान पर उसे भूमि का कब्जा भी सौंप दिया। बिहार राज्य में रामगढ़ की संपदा के निहित

होने के बाद, वादी-अपीलकर्ता के नाम पर 2 रुपये प्रति दशमलव की दर से किराया बढ़ाकर नामांतरण किया गया था, जो कि अतिरिक्त कलेक्टर, रामगढ़ द्वारा वाद संख्या 115/62-63 (प्रदर्श 13) में पारित किया गया था। वादी-अपीलकर्ता ने उक्त भूमि पर कुछ संरचनाओं का निर्माण किया था, जिन्हें विभिन्न व्यक्तियों को किराए पर दिया गया है, जो सभी मुकदमे में प्रतिवादी हैं।

9. कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ की स्थापना के बाद, भूतपूर्व मालिक राजा ने डिस्पेंसरी भवन आदि के साथ 2.55 एकड़ भूमि (मुकदमे वाली भूमि को छोड़कर) अस्थायी रूप से कैंटोनमेंट बोर्ड को सौंप दी। इस प्रकार, कैंटोनमेंट बोर्ड के पास कभी भी 2.55 एकड़ से अधिक भूमि का कब्जा नहीं आया, वह भी उस भूमि के अलावा जो वादी-अपीलकर्ता द्वारा बसाई गई और कब्जे में थी।

10. 1964 में, राजा की पत्नी महारानी ने गांव की 5.38 एकड़ भूमि पर अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए टाइटल सूट नंबर - 8/64 की स्थापना की, जिसमें वादी-अपीलकर्ता की 0.30 एकड़ भूमि भी शामिल थी। उक्त दावा राजा द्वारा उनके पक्ष में कथित रूप से दिए गए भरण-पोषण अनुदान के आधार पर किया गया था।

11. उपरोक्त मुकदमे का विरोध वादी-अपीलकर्ता ने लिखित बयान दाखिल करके किया था और वर्ष 1942 में राजा द्वारा दिए गए रैयती अधिकारों के आधार पर 0.30 एकड़ भूमि का दावा किया था। कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ ने राजा द्वारा दिए गए कब्जे के अधिकारों के आधार पर भूमि के विभिन्न हिस्सों में केवल 2.55 एकड़ की सीमा तक अलग-अलग अधिकारों का दावा किया था, जिसमें डिस्पेंसरी भवन और डॉक्टरों के क्वार्टर शामिल थे।

12. उपरोक्त मामले में महारानी ने वादी-अपीलकर्ता (जो उक्त मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 32 था) सहित कई प्रतिवादियों के साथ समझौता किया। उक्त समझौते के अनुसार महारानी ने प्लॉट संख्या 432 और 438 में 0.30 एकड़ की सीमा तक वादी-अपीलकर्ता के कब्जे को स्वीकार किया और यह सहमति हुई कि उसका इससे कोई लेना-देना नहीं होगा और वादी-अपीलकर्ता का उस पर एकमात्र कब्जा रहेगा। कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और न ही समझौते को चुनौती दी।

13. उक्त मुकदमे में मुकदमे की स्थिरता और महारानी के अधिकार, स्वामित्व और कब्जे सहित नौ मुद्दे तय किए गए थे। महारानी के मुकदमे को दिनांक 31.03.1984 के निर्णय और आदेश द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह स्थिरता योग्य नहीं था क्योंकि बिहार राज्य एक आवश्यक पक्षकार होने के नाते पक्षकार नहीं बनाया गया था और महारानी ने

अपना मामला साबित करने के लिए गवाह के कठघरे में प्रवेश नहीं किया था। इस तरह, वह अपने द्वारा दावा की गई भूमि की मालिक और कब्जेदार नहीं पाई गई। मुकदमे को खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि जिन पक्षों ने महारानी के साथ समझौता किया है, उन्हें समझौता विलेख के आधार पर कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि वह स्वयं अपने द्वारा दावा की गई भूमि पर अपने स्वतंत्र अधिकारों को साबित करने में विफल रही हैं।

14. वादी-अपीलकर्ता द्वारा दायर दूसरी अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया क्योंकि वह कानून का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने में विफल रही, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अपील पर विचार करने के लिए अनिवार्य है। इसलिए, यहाँ विचार के लिए पहला बिंदु यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दूसरी अपील में कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल था।

15. दलील यह है कि वादी-अपीलकर्ता को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस आधार पर वाद दायर नहीं किया गया कि उसके वाद को रेस ज्यूडिकाटा द्वारा वर्जित किया गया था। सी.पी.सी की धारा 11 के तहत रिस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्तों में से एक यह है कि पहले के वाद और बाद के वाद में मुद्दा सीधे और मूलतः एक जैसा होना चाहिए। महारानी द्वारा शुरू किए गए पहले के वाद संख्या 8/64 में उनका दावा था कि वह राजा द्वारा उनके पक्ष में किए गए भरण-पोषण अनुदान के आधार पर ग्राम रामगढ़ की पूरी 5.38 एकड़ जमीन की वैध मालिक हैं। उक्त वाद में वादी-अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 32 और कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ प्रतिवादी नंबर 1 था। महारानी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार नहीं किया गया और वर्तमान मुकदमे में वादी-अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए प्लॉट नंबर 432 और 438 की 0.30 एकड़ भूमि पर सह-प्रतिवादियों के अधिकारों के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसमें सीमित मुद्दा यह था कि क्या महारानी ने राजा द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित किए गए रखरखाव अनुदान के आधार पर उपरोक्त संपूर्ण संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त किया था। इस बारे में कोई मुद्दा नहीं था कि वादी-अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई सूट भूमि उनकी थी या उनके पक्ष में बंदोबस्त की गई थी या नहीं, जैसा कि दावा किया गया था। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्पष्ट कानूनी प्रश्न है कि क्या वादी-अपीलकर्ता द्वारा दायर वर्तमान वाद को धारा 11 सी.पी.सी के तहत रिस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत पर रोक दिया गया था, क्योंकि पिछले वाद में सह-प्रतिवादियों के अधिकारों का वाद भूमि के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ था और उसमें मुद्दा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और मूल रूप से वर्तमान वाद के समान नहीं था।

हर नारायण तिवारी (डी) टी.एच.आर. एलआरएस. बनाम कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ कैंटोनमेंट और अन्य

16. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा मत है कि उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील को इस आधार पर खारिज करने में स्पष्ट रूप से गलती की है कि इसमें कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल नहीं था।

17. जैसा कि पहले कहा गया है, दूसरी अपील में उठने वाला विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या वादी-अपीलकर्ता द्वारा स्थापित वाद को पूर्व वाद संख्या - 8/64 के निर्णय के मद्देनजर रिस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया था, जिसमें वाद भूमि के संबंध में सह-प्रतिवादियों के अधिकारों का कभी न्यायनिर्णयन नहीं किया गया था और महारानी के दावे को अस्वीकार करना सह-प्रतिवादियों के अधिकारों का निर्णय करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

18. ऐसे कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं हैं जिनके लिए किसी साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता हो ताकि उपरोक्त विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जा सके। इसलिए, हम इसे उच्च न्यायालय पर निर्णय करने के लिए छोड़ने के बजाय स्वयं ही उपरोक्त विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय करना उचित समझते हैं।

19. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मुकदमे की भूमि यानी प्लॉट संख्या 432 और 438 के हिस्से राजा की संपत्ति का हिस्सा थे, जिन्होंने गांव रामगढ़ की लगभग 5.38 एकड़ अतिरिक्त भूमि अर्जित की थी। महारानी ने गांव रामगढ़ की पूरी उक्त भूमि पर मालिकाना हक का दावा किया था, लेकिन उनके दावे को उनके मालिकाना हक के मुकदमे संख्या 8/64 में अदालत ने स्वीकार नहीं किया था। इसका मतलब यह है कि वह राजा द्वारा उनके पक्ष में किए गए कथित रखरखाव अनुदान के आधार पर उक्त भूमि पर अपना अधिकार, शीर्षक और हित स्थापित करने में असमर्थ थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुकदमे की भूमि राजा द्वारा वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में तय नहीं की गई थी या मुकदमे की भूमि किसी भी तरह से कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के साथ तय हुई थी।

20. पिछले मुकदमे अर्थात मुकदमा संख्या 8/64 में विवाद ग्राम रामगढ़ की सम्पूर्ण 5.38 एकड़ भूमि पर महारानी के स्वामित्व और हक के बारे में था, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के अधीन है; उक्त मुकदमे में वादी-अपीलकर्ता और अन्य प्रतिवादी; जबकि वर्तमान मुकदमे में विवाद केवल 0.30 एकड़ भूमि के संबंध में वादी-अपीलकर्ता और कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के संबंध में बिल्कुल अलग है।

21. पिछले मुकदमे का निर्णय और आदेश जो अंतिम और निर्णायक है, किसी भी विशिष्ट शब्दों में वादी-अपीलकर्ता या कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के मुकदमे की भूमि के संबंध में अधिकार, शीर्षक और हित पर निर्णय नहीं करता है। उक्त मुकदमे में, वादी-अपीलकर्ता या कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के अधिकार, शीर्षक और कब्जे के

संबंध में कोई मुद्दा नहीं था और इस संबंध में कोई निष्कर्ष अदालत द्वारा उक्त मुकदमे को खारिज करते हुए वापस नहीं किया गया था। सरल शब्दों में, महारानी द्वारा दायर मुकदमे को, जिसमें रामगढ़ गांव की 5.38 एकड़ भूमि पर अधिकार, शीर्षक और हित का दावा किया गया था, कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के संबंध में मुकदमे की भूमि पर वादी-अपीलकर्ता के किसी भी अधिकार के निर्णय के बिना सरलता से खारिज कर दिया गया था।

22. यह भी बताना उचित होगा कि कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ ने पूरे रामगढ़ गांव की 2.55 एकड़ भूमि पर अधिकार का दावा किया था, न कि उस पूरी 5.38 एकड़ भूमि के संबंध में जिसे राजा ने अतिरिक्त रूप से अधिग्रहित किया था। कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ का यह भी मामला नहीं है कि राजा द्वारा उसके पक्ष में अस्थायी रूप से बंदोबस्त की गई भूमि पर वादी-अपीलकर्ता ने कब्जा कर लिया है या वादी-अपीलकर्ता उस भूमि पर अधिकार का दावा कर रहा है जो उसके पक्ष में बंदोबस्त की गई थी। दूसरे शब्दों में, भूमि राजा की थी, जिसका एक हिस्सा प्लॉट संख्या 432 और 438 के 0.30 एकड़ की सीमा तक वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में बंदोबस्त किया गया था, जबकि 2.55 एकड़ भूमि का एक अन्य टुकड़ा जिसमें कुछ संरचनाएं थीं, लेकिन निश्चित रूप से मुकदमे की भूमि को छोड़कर कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के पक्ष में बंदोबस्त किया गया था। वादी-अपीलकर्ता का वाद भूमि पर दावा करने का अधिकार या कैंटोनमेंट बोर्ड का उसके पक्ष में तय की गई 2.55 एकड़ भूमि पर अधिकार, पिछले टाइटल सूट संख्या 8/64 में कभी भी न्यायनिर्णय के लिए नहीं आया।

23. धारा 11 सी.पी.सी के तहत स्थापित रिस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के पीछे सामान्य नीति यह है कि पक्षों को उसी मुद्दे पर मुकदमा करने से बचना चाहिए जिस पर पहले ही निर्णय हो चुका है और निपटारा हो चुका है। यह सार्वजनिक नीति के अनुरूप है ताकि समान पक्षों के बीच समान मुद्दे पर हितों के टकराव को समाप्त किया जा सके। रिस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू करने के लिए बुनियादी आवश्यक तत्वों में से एक, जैसा कि पहले भी कहा गया है, यह है कि जो मामला पिछले मुकदमे में सीधे और काफी हद तक मुद्दा है, उसे बाद के मुकदमे में उठाने और उस पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह एक स्थापित कानून है कि रिस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत न केवल वादी और प्रतिवादियों के बीच बल्कि सह-प्रतिवादियों के बीच भी लागू होता है। सह-प्रतिवादियों के बीच रिस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू करने में, मुख्य रूप से तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, अर्थात्, (i) सह-प्रतिवादियों के बीच हितों का टकराव होना चाहिए; (ii) वादी को राहत देने के लिए उक्त विवाद का निर्णय करना आवश्यक है; और (iii) उक्त विवाद का अंतिम निर्णय लिया

जाना है। एक बार जब ये सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो सह-प्रतिवादियों के बीच रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू किया जा सकता है।

24. उपरोक्त स्थापित सिद्धांत के संदर्भ में, यद्यपि प्रिवी काउंसिल के निर्णय से लेकर अनेक निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है, लेकिन हम **गोविंदम्मल (मृत) बनाम वैद्यनाथन एवं अन्य**[3] के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए नवीनतम निर्णयों में से केवल एक का संदर्भ देना उचित समझते हैं, जिसमें सह-प्रतिवादियों के बीच रिस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के आवेदन के संबंध में सभी पिछले निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने इसे लागू करने के लिए उपरोक्त तीन शर्तें निकाली थीं।

25. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, हम पाते हैं कि पहले के वाद संख्या - 8/64 में सह-प्रतिवादियों के बीच कोई हितों का टकराव नहीं था, क्योंकि वादी-अपीलकर्ता स्वतंत्र रूप से 0.30 एकड़ भूमि पर अधिकार का दावा कर रहे थे, जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ 2.55 एकड़ भूमि पर अधिकार का दावा कर रहा था, जो राजा की संपदा का हिस्सा थी, बिना यह दावा किए कि उसके पक्ष में तय की गई भूमि वही है जिसका दावा वादी-अपीलकर्ता ने किया है या उसके पक्ष में तय की गई भूमि पर कोई अतिक्रमण था। यह मानते हुए भी कि सह-प्रतिवादियों के बीच वाद की भूमि के संबंध में कुछ आपसी टकराव थे, उक्त टकराव का न्यायनिर्णयन महारानी को कोई राहत देने के लिए आवश्यक नहीं था, जो वाद में वादी थीं। चूंकि वह 5.38 एकड़ भूमि की पूरी संपदा पर दावा कर रही थी और उसका दावा पराजित हो गया क्योंकि वह सह-प्रतिवादियों द्वारा स्थापित दावों के संबंध में अदालत द्वारा कोई विशिष्ट निष्कर्ष न निकाले जाने के साथ ही अपने पक्ष में उक्त भूमि के अनुदान को साबित करने में असमर्थ थी, इसलिए वर्तमान मुकदमे में सह-प्रतिवादियों के बीच उठाए गए आपसी विवाद का कभी भी न्यायनिर्णयन नहीं हुआ। इस प्रकार, गोविंदम्मल (सुप्रा) में सह-प्रतिवादियों के बीच निर्धारित कोई भी शर्त रिस ज्यूडिकेटा लागू करने के लिए पूरी नहीं हुई। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, हमारा मत है कि रिस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत आकर्षित नहीं होगा क्योंकि वर्तमान मुकदमे में मुद्दा न तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पिछले मुकदमे में मुद्दा था और उक्त पिछले मुकदमे में सह-प्रतिवादियों के बीच कोई हितों का टकराव नहीं था, जिस पर कभी भी न्यायनिर्णयन नहीं हुआ। तदनुसार, वादी-अपीलकर्ता द्वारा कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ के खिलाफ भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हुए दायर

[3] [2018] 11 एससीआर 1092 : (2019) 17 एससीसी 433

किया गया मुकदमा धारा 11 सी.पी.सी के तहत वर्जित नहीं है।

26. ऐसा कहने के बाद, हम गुण-दोष के आधार पर पक्षों के संबंधित दावों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मुकदमे को बनाए रखने योग्य मानते हैं और न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित नहीं मानते हैं।

27. वादी-अपीलकर्ता ने वाद की अनुसूची 'ए' में वर्णित अनुसार वाद भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। उक्त अनुसूची में प्लॉट संख्या 432 की 0.12 एकड़ भूमि तथा प्लॉट संख्या 438 की 0.18 एकड़ भूमि कुल 0.30 एकड़ भूमि का उल्लेख है जो ग्राम रामगढ़ में स्थित है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उक्त अवधि के दौरान राजा की संपदा कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधन में थी, इसके प्रबंधक ने वाद भूमि सहित 5.38 एकड़ अतिरिक्त भूमि अर्जित की थी तथा उसे राजा की संपदा में जोड़ दिया गया था। वर्ष 1942 में राजा ने 18.10.1942 को वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में उक्त भूमि का बंदोबस्त कर दिया था। इसके बाद हुकुमनामा दिनांक 07.04.1943 (प्रदर्श 9) जारी किया गया, जिसमें उक्त बंदोबस्त की पुष्टि की गई।

28. उपरोक्त समझौते की पुष्टि अतिरिक्त कलेक्टर, हजारीबाग द्वारा वर्ष 1963 में 2 रुपये प्रति दशमलव की दर से किराया वृद्धि पर की गई थी और तदनुसार वादी अपीलकर्ता से किराया वसूलना शुरू कर दिया था।

29. राजा के अधीन अधिकारों का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उक्त भूमि वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में इस प्रकार से तय नहीं की गई थी। महारानी ने राजा द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित रखरखाव अनुदान के आधार पर संपूर्ण 5.38 एकड़ भूमि का दावा किया था, लेकिन उनके उक्त दावे को स्वीकार नहीं किया गया। दूसरी ओर, कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ ने केवल 2.55 एकड़ भूमि के संबंध में अपना दावा किया था, जो 5.38 एकड़ भूमि का हिस्सा है, लेकिन वादी-अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए मुकदमे की भूमि पर कहीं भी कोई अधिकार, शीर्षक और हित का दावा नहीं किया है। कैंटोनमेंट बोर्ड केवल टाइटल सूट संख्या 8/64 में पारित दिनांक 16.03.2000 के निर्णय और आदेश के आधार पर आरोप लगाता है कि उसे प्रतिकूल कब्जे द्वारा संपूर्ण 5.38 एकड़ भूमि का मालिक माना गया है और, इसलिए, वादी-अपीलकर्ता का मुकदमे की भूमि पर कोई अस्तित्ववान अधिकार नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने आगे तर्क दिया कि पूरी 5.38 एकड़ भूमि राजा द्वारा 02.06.1931 को 15 वर्ष की अवधि के लिए डबलिन विश्वविद्यालय मिशन को पट्टे पर दी गई थी और इसलिए, इसका कोई भी हिस्सा वर्ष 1942 में वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में उनके द्वारा निपटाया नहीं जा सकता था।

हर नारायण तिवारी (डी) टी.एच.आर. एलआरएस. बनाम कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ कैंटोनमेंट और अन्य

30. कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से उठाए गए दूसरे पहलू के संबंध में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि पूरी 5.38 एकड़ भूमि डबलिन विश्वविद्यालय मिशन को पट्टे के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी; यहां तक कि इस तरह के हस्तांतरण को साबित करने के लिए कोई मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में भूमि का निपटान करने के राजा के अधिकार को प्रतिबंधित करता हो। अन्यथा भी यह मानते हुए कि ऐसा कोई पट्टा था, यह 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पर जून 1946 में समाप्त हो गया होगा, जिस स्थिति में 1942 का समझौता और 1943 का हुकुमनामा वैध होने पर वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में पुनर्जीवित और जारी रहेगा, विशेष रूप से अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा इसकी पुष्टि और 1963 में म्यूटेशन के साथ।

31. प्रथम तर्क के संदर्भ में कि टाइटल सूट संख्या - 8/64 में, पूरे 5.38 एकड़ पर कैंटोनमेंट बोर्ड का कब्जा प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वीकार किया गया था, यह ध्यान रखना उचित होगा कि उक्त निर्णय और आदेश और डिक्री के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त मुकदमे में प्रथम दृष्टया न्यायालय ने वादी-अपीलकर्ता (जो उक्त मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 32 था) के दावे के संबंध में और न ही कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा स्थापित दावे के संबंध में कोई निष्कर्ष दिया है। यह तर्क देना गलत है कि उक्त निर्णय और आदेश पूरे 5.38 एकड़ भूमि पर प्रतिकूल कब्जे द्वारा कैंटोनमेंट बोर्ड के टाइटल को स्वीकार करता है। उक्त मुकदमे में, कैंटोनमेंट बोर्ड ने केवल 2.55 एकड़ की सीमा तक उक्त 5.38 एकड़ भूमि के भाग के संबंध में अधिकार का दावा किया था और इसलिए, कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रतिकूल कब्जे के संबंध में ट्रायल कोर्ट का कोई भी अवलोकन, कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा स्थापित दावे के संबंध में माना जाएगा और इसे संपूर्ण 5.38 एकड़ भूमि के संबंध में नहीं माना जाएगा, ताकि वादी-अपीलकर्ता की भूमि शामिल हो।

32. टाइटल सूट संख्या - 8/64 (प्रदर्श 12) में दायर किए गए कैंटोनमेंट बोर्ड के लिखित बयान से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्ष 1941 में एक अस्थायी उपाय के रूप में कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना के बाद, राजा ने संपर्क किए जाने पर 06.11.1941 को डिस्पेंसरी भवन और अन्य संरचनाओं सहित 2.55 एकड़ भूमि का उपयोग कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा छह महीने की अवधि के लिए करने की अनुमति दी थी, जिसे 31.12.1943 तक बढ़ा दिया गया था। कैंटोनमेंट बोर्ड के पक्ष में किसी भी भूमि का कोई अन्य बंदोबस्त नहीं हुआ था और

कैंटोनमेंट बोर्ड के पास रामगढ़ गांव की पूरी 5.38 एकड़ भूमि में से केवल 2.55 एकड़ भूमि का अनुमेय कब्जा था। वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में और राजा द्वारा कैंटोनमेंट बोर्ड के पक्ष में तय की गई भूमि अलग-अलग थी और इस प्रकार उनके बीच कोई स्पष्ट संघर्ष नहीं था।

33. वादी-अपीलकर्ता ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर राजा द्वारा उसके पक्ष में वाद भूमि का बंदोबस्त साबित कर दिया है। यह अमीन रिपोर्ट (प्रदर्श 8) दिनांक 15.04.1942 और हुकुमनामा (प्रदर्श 9) दिनांक 07.04.1943 के साथ-साथ किराया रसीद (प्रदर्श 6, 6/ए और 7) से भी साबित होता है। हजारीबाग के अतिरिक्त समाहर्ता के दिनांक 07.01.1963 के आदेश (प्रदर्श 16) में वादी-अपीलकर्ता से किराया वसूलने का निर्देश दिया गया है, जो उपरोक्त बंदोबस्त और उसके बाद राज्य द्वारा किराया वृद्धि पर अनुमोदन की पुष्टि करता है। इन सभी दस्तावेजों का दूसरे पक्ष द्वारा सामना नहीं किया गया है। तथ्य यह है कि वादी-अपीलकर्ता का नाम राजस्व अभिलेखों में भी बदल दिया गया था, यह किसी भी विपरीत साक्ष्य के अभाव में संदेह से परे साबित करता है कि वह वाद भूमि पर काबिज है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पहले के मुकदमे में, कैंटोनमेंट बोर्ड ने स्वीकार किया है कि वादी-अपीलकर्ता किरायेदारों से मुकदमे की भूमि पर मौजूद दुकानों का किराया वसूल रहा है।

34. उपर्युक्त भारी मात्रा में अप्रकट साक्ष्य के मद्देनजर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया न्यायालय के इस निष्कर्ष को पलटने में स्पष्ट रूप से गलती की है कि वादी-अपीलकर्ता के पास मुकदमे की भूमि का स्थायी कब्जा है और उसने उस पर अपने स्वामित्व के अधिकार को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

35. तदनुसार, उच्च न्यायालय के दिनांक 01.04.2009 के निर्णय और आदेश तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के दिनांक 28.06.2006 के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है तथा ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 16.03.2000 के निर्णय और आदेश को बहाल किया जाता है, जिसमें वादी-अपीलकर्ता के स्वामित्व वाद पर डिक्री जारी की गई थी, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

36. अपील स्वीकार की जाती है।

परिणाम : अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।